न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या
73/2020

दायर दिनांक
30.07.2020

निर्णय दिनांक
17.03.2025

1. दिलखुश पुत्र श्री भवंरलाल जाट नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता श्रीमती नारायणी देवी पत्नी श्री भवंरलाल जाट निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. प्रिंस पुत्र श्री भवंरलाल जाट नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता श्रीमती नारायणी देवी पत्नी श्री भवंरलाल जाट निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।

बनाम

—— वादीगण

1. भंवर पुत्र बालू जाट निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. नारायण पुत्र श्री बालू जाट निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. नन्दू पुत्री बालू जाट निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. बदाम पुत्री बालू जाट निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. टम्मू पुत्री बालू जाट निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. रूपी पत्नी स्व0 श्री बालु जाट निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
8. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा।
9. सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 भीलवाड़ा शाखा सुवाणा जिला भीलवाड़ा व्यवस्थापक

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा.— 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता वादीगण श्री रामेश्वरलाल जाट

2— प्रति0 संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं।

—:: निर्णय ::—

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि बालू जी के 02 पुत्र भवंर, नारायण व 3 पुत्री नन्दू व बदाम व टम्मु व पत्नी रूपी जो प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 है व वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के जायन्दा पुत्र व बालू जी के पोत्र होकर प्रथम श्रैणी के विधिक वारीस व उत्तराधिकारी है। सरहद ग्राम आटूण पटवार हल्का आटूण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 2052/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 2054 रकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर 2121 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 2125 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 2149/1 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 2195/2 रकबा 09 कुल किता 06 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के नाम पर दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रमाणित प्रतिलिपि
नायब तहसीलदार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

वादपत्र मे वर्णित आराजियात जो कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 की पुश्तैनी होकर वादीगण के दादा बालू जाट की विरासत से प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है। जिसमे वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। वादपत्र की चरण संख्या 02 मे वर्णित आराजियात मे वादपत्र में वर्णित पारीवारिक सजरे अनुसार वादी संख्या 01 लगायत 02 प्रत्येक का 1/18 – 1/18 कुल 1/9 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/18 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हक हिस्सा निहित है व इसी हक हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 मौके पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजियात वादीगण की पैतृक होने से वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है व वादीगण अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 जो कि वादीगण के पिता है. जो कि अन्य लोगो की सिखावट एवं बहकावे में है तथा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादीगण की माता को परेशान कर घर से बाहर निकाल दिया व वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज नही होने की आड़ मे जबरन वादीगण को उनकी भूमि से वंचित करना चाहते है. इसी नियत से आये दिन वादीगण के उपयोग उपभोग मे दंखलदांजी पैदा करता है व भूमि को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने की धमकिया देता है, हाल ही में दिनांक 25 मई 2020 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 व कुछ अजनबी व्यक्तियो को लेकर वादग्रस्त आराजियात पर आये व भूमि को विक्रय करने की बातचीत करने लगे व वादीगण को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया, इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा कि उक्त आराजियात वादीगण की पैतृक होकर वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है, इस पर प्रतिवादी संख्या 01 ने कहा कि उक्त जमीन मेरे नाम पर दर्ज है, इस कारण से उक्त जमीन को दूसरो का रहन, विक्रय करके रहूंगा। इस कारण से वादीगण को बेदखल करके ही रहेगे व आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द करके ही रहेगे। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 01 वादी का पिता है जो कि अपने भाई बहिन व माता प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 व अन्य लोगो की सिखावट एवं बहकावे मे है तथा प्रतिवादी संख्या 01 की नियत में फितुर है व उक्त आराजियात प्रतिवादीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण उक्त आराजियात को कोडीयो के भाव में विकय कर वादी को उसके जायज हक हिस्से से वंचित करना चाहता है इसी गरज से आये दिन लोगो को लाकर उक्त आराजियात को विक्रय करना चाहता है, जिसका कि प्रतिवादी संख्या 01 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 01 के परिवार में पारीवारिक खर्च हेतु कोई रकम की भी जरूरत नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 एक वादीगण को वादग्रस्त आराजी से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे व प्रतिवादी संख्या 01 एक के नाम पर उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/ खुर्द बुर्द कर देगा तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी व वादीगण अपनी पैतृक आराजियात से वंचित हो जायेगा। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है प्रतिवादीगण वादीगण को वादग्रस्त आराजी से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य से करावे तथा वादीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे।

प्रमाणित प्रतिलिपि

नायब तहसीलदार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादपत्र में वर्णित सरहद ग्राम आटूण पटवार हल्का आटूण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 2052/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 2054 रकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर 2121/1 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 2125 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 2149/1 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 2195/2 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 06 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 की पैतृक आराजियात है, जिसमे वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है होकर वादी संख्या 01 लगायत 02 प्रत्येक का 1/18 – 1/18 कुल 1/9 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 1/18 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हक हिस्सा निहित निहित है व वादीगण राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 के साथ अपना नाम अंकन कराने व 1/9 हक हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है, तद्नुसार घौषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त मामले मे प्रतिवादी संख्या 07 लगायत 08 राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है और कानूनन राज्य सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व उन्हे धारा 80 जा०दी० के तहत 2 माह की समयावधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का है और वादी नोटिस देकर समयावधि व्यतीत होने तक इंतजार करेगे तो इससें पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 01 वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण/खुर्द बुर्द कर देगा व वादी को बेदखल कर देगा तो वादी का वाद पेश करना ही निरर्थक हो जायेगा।

अतः प्रार्थना है कि वादपत्र में वर्णित ग्राम आटुण पटवार हल्का आटुण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 2052/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 2054 रकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर 2121/1 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 2125 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 2149/1 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 2195/2 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 06 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 की पैतृक आराजियात है जिसमे वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है होकर वादी संख्या 01 लगायत 02 प्रत्येक का 1/18 – 1/18 कुल 1/9 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/18 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हक हिस्सा निहित निहित है व वादीगण राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ अपना नाम अंकन कराने व 1/9 हक हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है तद्नुसार घौषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 के फरमायी जावे।

वादीगण का वादपत्र पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 03, 04, 05, 07, 08 व 09 के विरूद्ध दिनांक 31.03.2021 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 06 के विरूद्ध दिनांक 12.07.2021 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत किया गया।

प्रार्थी अजय लखवानी आत्मज गुरूदास लखवानी निवासी भीलवाडा की और से दिनांक .08.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 का पेश हुआ जिसे दिनांक .03.2025 को खारिज किया गया। प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत किया गया वादी की साक्ष्य शपथ पत्र दिलखुश पुत्र भवंरलाल जाट निवासी आटुण का दिनांक 11.03.2025 को पेश जिसका मुख्य परीक्षण करवाया गया जो पीडब्ल्यू 01 है। दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम आटुण जमाबन्दी सम्वत् 2049 से 2052 के खाता संख्या 283, 284 पेश की जो प्रदर्श–01 है एवं आटुण की जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 खाता संख्या 365 की जमाबन्दी की प्रमाणित लिपि पेश की है जो प्रदर्श–02 है। साक्ष्य वादी बन्द की गई।

प्रमाणित प्रतिलिपी

नायब तहसीलदार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 01 से लगायत 11 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि ग्राम आटुण के आराजी नम्बर 2052/1, 2054, 2121/1, 2125, 2149/1, 2195/2 कुल किता 06 कुल रकबा 06–19 बीघा भूमि भवंर पिता बालु जाट साकिन देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 की पैतृक आराजियात है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक अधिकारी निहित है। वादी संख्या 01 से लगायत 02 प्रत्येक का 1/18 – 1/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हक हिस्सा निहित है। वादीगण राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ अपना नाम कराने व 1/9 हक हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करने के अधिकारी है। तदनुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी कराने की प्रार्थना की है।

वादीगण के वादपत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन किया गया। वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजियात जमाबन्दी सम्वत् 2049 से 2052 में खाता संख्या 283 बालु, मांगु, काना पिता भोला जाट सा0 देह खातेदार आराजी नम्बर 865, 2149, 2195/2,2270/1 कुल किता 04 कुल रकबा 08–03 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड थी एवं खाता संख्या 284 में बालु, काना पिता भोला जाट के नाम आराजी नम्बर 2052, 2053, 2054, 2121, 2122, 2123, 2125 कुल किता 09 रकबा 14–09 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड थी। उक्त भूमि वादीगण के दादाजी बालु पिता भोला जाट सा0 देह के नाम दर्ज रेकार्ड होने से वादीगण उक्त भूमि में अपना हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2069–2072 ग्राम आटुण के खाता संख्या 365 में आराजी नम्बर 2052/1, 2054, 2121/1, 2125, 2149/1, 2195/2 कुल किता 06 कुल रकबा 06–19 बीघा भूमि भवंर, नारायण पिता बालु, नन्दु, बदाम, टम्मु पुत्रिया बालु, रूपी पत्नी स्व0 बालु जाट सा0 देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार वादीगण के पिता भवंर पिता बालु जाट का उपरोक्त आराजियात में 1/6 हिस्सा बनता है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 भवंर पिता बालु जाट के 1/6 हिस्से में अपना हक हिस्सा की घोषणा कराने के अधिकारी है। वादीगण संख्या 01 का 1/18 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 1/18 की वादग्रस्त आराजियात में खातेदारी की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्तानुसार वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाकर ग्राम आटुण के आराजी नम्बर 2052/1, 2054, 2121/1, 2125, 2149/1, 2195/2 कुल किता 06 कुल रकबा 06–19 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 का 1/18 व वादी संख्या 02 का 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 का 1/18 हिस्सा रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 06 प्रत्येक का उक्त आराजियात में 1/6 – 1/6 हिस्सा रहेगा उपरोक्त अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने की डिक्री जारी की जाती है एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से जारी की जाती है कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे, न ही किसी अन्य से करावें वादीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करें तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
भीलवाडा

प्रमाणित प्रतिलिपि
नायब तहसीलदार
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिकी
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:–दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 73/2020 | दायर दिनांक 30.07.2020 | निर्णय दिनांक 17/03/2025

1. दिलखुश पुत्र श्री भवंरलाल जाट नाबालिग जरिये प्राकृति सरंक्षिका माता श्रीमती नारायण देवी पत्नी श्री भवंरलाल जाट निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा।
2. प्रिंस पुत्र श्री भवंरलाल जाट नाबालिग जरिये प्राकृति सरंक्षिका माता श्रीमती नारायण देवी पत्नी श्री भवंरलाल जाट निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा।

-- वादीगण

बनाम

1. भवंरलाल पुत्र बालू जाट निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा।
2. नारायण पुत्र श्री बालू जाट निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा।
3. नन्दू पुत्री बालू जाट निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा।
4. बदाम पुत्री बालू जाट निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा।
5. टम्मु पुत्री बालू जाट निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा।
6. रूपी पत्नी स्व0 श्री बालु जाट निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाडा
9. सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 भीलवाडा शाखा सुवाणा जिला भीलवाडा व्यवस्थापक

-- प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा – 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता वादीगण श्री रामेश्वरलाल जाट

2– प्रति0 संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं।

वादीगण की और से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 17.03.2025 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिकी दी जाती है :–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाकर ग्राम आटुण के आराजी नम्बर 2052/1, 2054, 2121/1, 2125, 2149/1, 2195/2 कुल किता 06 कुल रकबा 06–19 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 का 1/18 व वादी संख्या 02 का 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 का 1/18 हिस्सा रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 06 प्रत्येक का उक्त आराजियात में 1/6 – 1/6 हिस्सा रहेगा उपरोक्त अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने की डिकी जारी की जाती है एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से जारी की जाती है कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे, न ही किसी अन्य से करावें वादीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

प्रमाणित प्रतिलिपी

नायब तहसीलदार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

Page 5